

पटना में दिनांक-18 अगस्त, 2017 शुक्रवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की धारा 40 की उपधारा (1) सहपठित धारा 14 एवं 15 के आलोक में "बिहार खाद्य सुरक्षा शिकायत निवारण नियमावली-2017" की स्वीकृति के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | दुर्गावती जलाशय योजना के रिभर क्लोजर (चेन सं० 18 से 26 तक) कार्य जो पूर्ण हो चुका है के लिए एस०बी०डी० (Standard Bidding Document) की कंडिका 10CC के प्रावधानों के तहत पूर्व से अनुमोदित मूल्य सामंजन (Price Adjustment) को दिनांक-20.08.2014 के मूल्य सूचकांक पर ही अनुमान्य करते हुए कार्य पूर्ण होने की अवधि 30 जून, 2017 तक विस्तारित करने के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

वाणिज्य-कर विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य-कर पदाधिकारी कोटि के पदाधिकारी, मो० शकील अहमद की सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में श्री सुरेन्द्र राय (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक-996/08 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया को संकल्प ज्ञापांक-2697 दिनांक-17.02.2012 द्वारा संसूचित दंड (सेवा से बर्खास्तगी) वापस लेते हुए सेवा में पुनः स्थापित किये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

वित्त विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 6. | Issue of State Government Securities of Govt. of Bihar संबंधी बिहार सरकार के सामान्य अधिसूचना (General Notification) सं० BT/111/92-492/B दिनांक-20.07.2007 में संशोधन के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 7. | रोहतास, सासाराम न्यायालय के अंतर्गत बिक्रमगंज में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 01 (एक) पद का ₹ 15,95,510/- (पंद्रह लाख पंचानबे हजार पाँच सौ दस रु० मात्र) कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति। | 7. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

8. श्रीमती जयश्री ठाकुर (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 355/11, तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी, बांका सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर की सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में। 8. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

9. बिहार पुलिस आशु संवर्ग सेवा नियमावली, 2017 की गठन की स्वीकृति। 9. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

10. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग नियमावली, 2017 के प्रारूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। 10. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

11. विभागीय अधिसूचना संख्या 9485 दिनांक-23.12.2013 की अनुसूची 'क' की कंडिका-1 (क) 'विशेष खेल-कूद समिति' की क्रम संख्या-2 पर अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार सैन्य पुलिस, बिहार के स्थान पर पुलिस महानिदेशक, बिहार सैन्य पुलिस/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार सैन्य पुलिस, बिहार को सदस्य के रूप में नामित करने हेतु बिहार पुलिस खेल-कूद नीति, 2013 में संशोधन करने के संबंध में। 11. स्वीकृत।

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

12. बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए सृजित विधि सहायक के 02 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए उसके स्थान पर बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक (वेतनमान-9300-34800/4600) के 02 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 12. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

13. कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) की चतुर्थ अनुसूची के भाग 'ख' की कंडिका 2(ii) को विलोपित करने के संबंध में। 13. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

14. श्री परमानन्द मौर्य, तत्कालीन मुंसिफ सम्प्रति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मधुबनी के दंडादेश संशोधन की स्वीकृति। 14. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

15. पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), जिलान्तर्गत ढाका नगर पंचायत को नगर परिषद घोषित करने के संबंध में। 15. स्वीकृत।

वित्त विभाग

16. नयी पेंशन योजना से आच्छादित राज्य कर्मियों को मृत्यु-सह सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ प्रदान करने के संबंध में। 16. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

17. बिहार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवाशर्तों) नियमावली, 2017 के नियम-2 परिभाषा-‘ग’ में संशोधन के संबंध में। 17. स्वीकृत।

कृषि विभाग

18. बिहार विकास मिशन के उप मिशन के अधीन कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2017-18 में 18000.00 लाख रुपये (एक अरब अस्सी करोड़ रुपये) मात्र की लागत से राज्य योजना मद से कार्यान्वयन की स्वीकृति। 18. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19. राज्य में चिकित्सा प्रक्षेत्र के सभी विधाओं में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी की स्वीकृति। 19. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

22. कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के नियंत्रणाधीन उपशास्त्री स्तरीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को दिनांक-01.01.2006 के प्रभाव से पी०बी० 3 ग्रेड पे० रू० 6600/-में सैद्धांतिक रूप से वेतन पुनरीक्षण एवं 01.04.2007 से पुनरीक्षित वेतनमान का आर्थिक लाभ की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 22. स्वीकृत।